33/2009 मेधा - मूलचन्द

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15-2-18	वकुलामे फरीकैन उपस्थित रेस्पोन्डेन्ट से रजिस्टर्ड नोटिस पुनः पेश होने पर जारी करें अग्रिम तारीख 16-4-18 को पेश हो।	
16-4-18	पत्रावली पीठासीन अधिकारी [illegible] पक्ष हैं। अतः पत्रावली [illegible] 4-6-18 को पेश हो।	
4-6-18	पत्रावली प्रस्तुत [illegible] अधिकारी [illegible] पक्ष हैं। अतः पत्रावली [illegible] 3-7-18 को पेश हो।	
3-7-18	पत्रावली प्रस्तुत [illegible] अधिकारी महोदय आज [illegible] पक्ष हैं। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार [illegible] 5-9-18 को पेश हो।	
5-9-18	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को [illegible] कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोन्डेन्ट को रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। [illegible] का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब [illegible] पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 5-10-18 [illegible] है। पत्रावली में पूर्व में यदि [illegible] तो [illegible] आगामी तिथि [illegible] बढ़ाया जाता है।	
5-10-18	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सायंकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। 5/X/18 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं अपील अधिकारी	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official